Scanned by CamScanner

आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम् 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, पर विचार।

निर्णयः– आर्थिक रुप से कमजोर ऐसे व्यक्तियों जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है, को राज्य सरकार की सभी श्रेणियों में नियुक्ति के लिए तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी सरकारी व निजी शैक्षणिक संस्थाओं (अनुदानित एवं गैर–अनुदानित) में प्रवेश के लिए आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम् 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–2 के पत्रांक 1/2019/4/1/2002/का0–2/19 टी0सी0–।। दिनांक 18 फरवरी, 2019 के क्रम में सहा0शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज के पत्र संख्या डिग्री सेवा/421–37/2019–20 दिनांक 30.05.2019 को सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया। समिति ने शासनादेश के विन्दु सं0 04 व 06 जो निम्नवत् है–

04– The Constitution (One Hundred and Third ammendment) act, 2019 के क्रम में भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के सम्बन्ध में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए की गई आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार ही, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी हैं, को राज्याधीन लोकसेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु निम्नवत् व्यवस्था/मानक निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है–

(क)– आर्थिक रुप से कमजोर ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं हैं, को उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदो की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रकम पर 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाय।

(ख)– उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रकम पर आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए अनुमन्य किये गये 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति, पात्र/अर्ह होगें–

(i)– जिनके परिवार के समस्त श्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल वार्षिक आय रु0 8.00 लाख से कम होगी। समस्त श्रोतों से आय में वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से प्राप्त आय सम्मिलित होगी और यह आय आरक्षण हेतु आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष की होगी। इस उद्देश्य के लिए लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के परिवार में उसके/उसकी माता पिता व 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन के साथ साथ उसका/उसकी, पति/पत्नि और 18 वर्ष से कम आयु के उसके बच्चे सम्मिलित होगें। परन्तु

(ii)– ऐसे व्यक्ति, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में पात्र नहीं होगें–

(अ)– जिनके परिवार के स्वामित्व अथवा कब्जे में 05 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि हो, या

(ब)– 1000 वर्ग फीट या इससे अधिक क्षेत्र को आवासीय फ्लैट हो, या

(स)– अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र का आवासीय भूखण्ड हो, या

(द)– अधिसूचित नगरपालिकाओं के क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या अधिक क्षेत्र को आवासीय भूखण्ड हो।

Scanned by CamScanner

(iii)– परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा।

(iv)– उत्तर प्रदेश सरकार की लोक सेवाओं और पदो ंकी सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के प्रकम पर आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था दिनांक 01.02.2019 या इसके उपरान्त अधिसूचित/विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगी।

04– संविधान के 103वें संशोधन के कम में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भारत सरकार द्वारा की गई उक्त व्यवस्था के अनुसार ही उत्तर प्रदेश में भी निम्नवत् कार्यवाही की जानी है–

(1)– अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक व शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए वर्तमान में लागू राज्य सरकार की योजना/नीति से आच्छादित नहीं है, उन्हें अध्ययन की प्रत्येक शाखा अथवा संकाय में उपलब्ध कुल सीटों के सापेक्ष अधिकतम् 10 प्रतिशत का आरक्षण अनुमन्य किया जाय। प्रदेश में उत्कृष्टता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, द सेण्ट्रल इण्स्टीट्यूशन (रिजर्वेशन इन एडमिशन) एक्ट, 2006 के अन्तर्गत इण्स्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एण्ड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेन्स जिन्हें भारत सरकार के आफिस मेमोरेण्डम दिनांक 17.01.2019 में सम्मिलित किया गया है, उन पर यह आरक्षण व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।

(2)– प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान अपनी प्रत्येक शाखा में निर्धारित वार्षिक सीटों में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम् 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के उपरान्त सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति से सीटों में वृद्धि करेगें जो शैक्षणिक सत्र के तुरन्त बाद से पहले प्रत्येक श्रेणी में उपलब्ध ऐसी सीटों की संख्या से कम न हो।

(3)– आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की प्रस्तावित व्यवस्था आगामी शैक्षिक सत्र 2019–20 से लागू की जाय।

(4)– आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए पात्रता का मानक प्रस्तर–4 के उप प्रस्तर (ख) के अनुसार ही होगा।

समिति ने उपर्युक्त शासनादेश को संज्ञान में लेते हुए विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के सभी पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण को अनुमन्य करते हुये 10 प्रतिशत सीट वृद्धि (बार काउंसिल आफ इण्डिया, एन0सी0टी0ई0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0एन0सी0, सी0सी0आई0एम0, एम0सी0आई0, स्टेट मेडिकल फेकल्टी एवं अन्य नियामक संस्थाओं से आच्छादित पाठ्यकमों को छोड़कर) का निर्णय लिया। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि प्राधिकारी/नियामक संस्थाओं के परिधि वाले पाठ्यकमों में सीट वृद्धि हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह0
कुलपति

कुलसचिव

Scanned by CamScanner